राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

दिनांक 07.06.2019 परिवाद संख्या 2019/02/2369

समक्ष : एकलपीठ
माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

राजस्थान राज्य के अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में एक महिला के साथ 05 व्यक्तियों, जिनमें एक नाबालिग द्वारा सामूहिक बलात्संग किया गया। इस घटना का विडियो सोशियल मीडिया में प्रसारित होने के पश्चात सम्बन्धित पुलिस थाने द्वारा देरी से एक अभियोग दर्ज किया गया। इस अत्यन्त शर्मनाक घटना की पूरे देश में काफी आलोचना हुई। इस घटना पर त्वरित अनुसन्धान कर न्यायालय में चालान भी कुछ ही दिनों में पेश किया गया। इस घटना की पीडिता को राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवा, पुलिस सेवा में नियुक्ति दी गई जो इस महिला के साथ हुए अपराध के कारण से दी गई।

दिनांक 04 जून, 2019 को राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के अनुसार पाली शहर के औद्योगिक क्षेत्र में एक दलित महिला के साथ 05 युवकों द्वारा बलात्संग किये जाने के समाचार अपराधियों के फोटो सहित प्रकाशित हुए हैं। इस घटना से सम्बन्धित एक विडियो भी सोशियल मीडिया पर प्रसारित किया गया। इस घटना के पांचों

आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, परन्तु इस प्रकरण में पीडिता को कोई भी सहायता अथवा सरकारी नौकरी दिये जाने के समाचार प्रकाशित नहीं हैं।

दिनांक 04 जून, 2019 को ही समाचार पत्रों में प्रकाशित अन्य समाचार कि, बीकानेर के कोलायत थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना घटी व 02 आरोपी व्यक्ति नाबालिग हैं। इसके साथ ही बीकानेर की एक अन्य युवती के साथ जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में करीब एक माह पूर्व होटल में बलात्कार सम्बन्धी 02 युवक व 01 युवती के विरूद्ध 0 नम्बर की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जी.आर.पी. में भेजी गई। इन प्रकरणों में भी पीडिता को कोई भी सहायता अथवा सरकारी नौकरी दिये जाने का कथन नहीं है।

एक समाचार पत्र में दिनांक 04 जून, 2019 को एक अन्य गैंगरेप सम्बन्धी समाचार प्रकाशित हुआ जिसके अनुसार गैंगरेप मामले में दिल्ली निवासी युवती सोमवार को नागौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पीडिता के बयान लिये गये, दूसरी दुष्कर्म पीडिता नागौर नहीं पहुंच सकी, इस प्रकरण में अनुसन्धान जारी है, परन्तु इस प्रकरण में किसी आन्दोलन अथवा पीडिता को सहायता व नौकरी दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

सामूहिक बालात्कार के ही नहीं, बल्कि राजस्थान के ही टोंक जिले के नगरफोर्ट क्षेत्र में एक ट्रेक्टर चालक की पुलिस द्वारा पीछा करने के दौरान मौत होने के कारण इस घटना की सी.आई.डी. (सी.बी.), राजस्थान

से जांच करवाने की मांग के लिए 05 दिन से धरना चल रहा था। इस मांग हेतु राजनेताओं द्वारा धरना दिया गया। समाचार के अनुसार इस धरने के दौरान मृतक के शव का दाह संस्कार नहीं होने दिया गया व राज्य के माननीय खाद्यमन्त्री श्री रमेश मीणा द्वारा माननीय विधायक श्री हरीश मीणा व श्री गोपीचन्द को ज्यूस पिलाकर धरना समाप्त करवाया गया तथा यह आश्वासन दिया गया कि मृतक की पत्नी को स्थानीय निकाय विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी दी जायेगी एवं दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सी.आई.डी. (सी.बी.) जांच करेगी।

अपराधों से पीडित व्यक्तियों के लिए मुआवजा व हर्जाना दिये जाने हेतु भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में प्रावधान किये हुए हैं। धारा 376 (D), भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत सामूहिक बलात्कार की पीडिता को न्यायालय द्वारा न सिर्फ चिकित्सकीय खर्चा, बल्कि पुनर्वास के लिए भी न्यायोचित और युक्तियुक्त राशि आरोपी से दिलवाये जाने के प्रावधान हैं।

National Legal Services Authority (NLSA) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सी) संख्या 565/2012, निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ में की गई टिप्पणी की पालना में एक समिति बनाई जाकर माननीय उच्चतम न्यायालय में यौन अपराधों से पीडित महिलाओं के लिए मुआवजा निर्धारण कर अदा करने के लिए एक योजना **"Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes-2018"** बनाई गई। NLSA द्वारा बनाई गई यह

योजना माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिनांक 11 मई, 2018 को पेश की गई तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा NLSA द्वारा प्रस्तुत यौन उत्पीडन/अन्य अपराधों से पीडित महिलाओं/पीडितों के लिए मुआवजा योजना–2018 स्वीकार की जा चुकी है तथा यह योजना प्रभाव में आ चुकी है।

अतः गम्भीर अपराधों में मुआवजा दिये जाने हेतु भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में विधि के प्रावधान किये गये हैं और विशेष रूप से सामूहिक बलात्कार की घटनाओं में मुआवजा दिये जाने हेतु भारतीय दण्ड संहिता में धारा 376 (D), जोडी जा चुकी है। अतः सामूहिक बलात्कार से पीडिता को न्यायिक आदेश से न सिर्फ चिकित्सकीय खर्चा, बल्कि पुनर्वास हेतु न्यायोचित राशि भी आरोपित से दिलवाई जा सकती है। यह एक विधि का प्रावधान है व विधि के प्रावधान से किसी प्रक्रिया, सहायता व हर्जाने का निर्णय करना व निर्णयोपरान्त सहायता/राशि अदा कराने के आदेश पारित करने के लिए न्यायालय को अधिकार दिया गया है। ऐसी सूरत में क्या राज्य सरकार द्वारा बलात्संग पीडित महिलाओं अथवा सामूहिक बलात्कार पीडित महिलाओं को अतिरिक्त सरकारी सेवालाभ दिया जा सकता है, यह एक विचारणीय विषय है।

NLSA द्वारा प्रकाशित यौन उत्पीडन/अन्य अपराधों से पीडित महिलाओं/पीडितों के लिए मुआवजा योजना–2018 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से प्रभाव में आने के पश्चात व इस हेतु केन्द्रीय

सरकार द्वारा ऐसी पीडित महिलाओं के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा ऐसी पीडित महिलाओं के लिए मुआवजे का निर्धारण करने के लिए District Legal Services Authority (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) अथवा State Legal Services Authority (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) को निर्णय कर राशि दिलाने के अधिकार दिये जा चुके हैं। क्या ऐसी सूरत में सरकारी नौकरी, या अन्य आर्थिक लाभ या अन्य लाभ राज्य सरकार द्वारा दिये जा सकते हैं, यह विचारणीय विषय है।

अतः राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार से निम्नांकित जानकारी प्राप्त करना चाहेगा :-

1. **क्या राज्य में अपराधों से पीडित होने, जिनमें दुर्घटना से मृत्यु होने, पुलिस कार्यवाही में मृत्यु होने, एनकाउण्टर में मृत्यु होने या अन्य प्रकार से हत्या होने पर राज्य सरकार द्वारा पीडित अथवा ऐसी घटनाओं में मारे गये व्यक्ति के आश्रित को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में माननीय न्यायालयों द्वारा दिये गये मुआवजे व NLSA की योजना, 2018 के अतिरिक्त अन्य लाभ, जिनमें सरकारी नौकरी देना सम्मिलित है, दिये जाने हेतु कोई कानून अथवा नीति बनाई गई है जिसके तहत इस आदेश में वर्णित महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई व दी जा रही है। अगर ऐसा कोई कानून अथवा नीति है तो उक्त कानून अथवा नीति की प्रतिलिपि आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जावे, ताकि आयोग उचित**

प्रकरणों में उचित आदेश पारित कर सके एवं पीडितों को उचित सहायता प्रदान करवा सके।

2. राज्य में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 तथा भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 व NLSA की योजना, 2018 के अलावा किन-किन अपराधों के पीडितों या पीडितों के आश्रितों को किस-किस प्रकार से सहायता व नौकरियां दी जाती है, उन अपराधों का विवरण व सहायता किस प्रकार, सरकारी नौकरी दिये जाने विवरण सहित प्रस्तुत करें।

3. राज्य में पूर्व में (मई, 2019 से पूर्व) कब-कब व किन-किन आपराधिक प्रकरणों में, पीडितों अथवा उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी गई, उनका विवरण भी प्रस्तुत करें।

4. क्या राज्य सरकार द्वारा ऐसे अत्यन्त गम्भीर मानव अधिकार हनन के प्रकरणों में विधि के प्रावधान होते हए तथा न्यायिक निर्णय से पूर्व ही नहीं, बल्कि किसी विभागीय कार्यवाही का निर्णय होने से पूर्व सरकारी नौकरी दिये जाने का निर्णय लिया गया है, अगर ऐसा निर्णय लिया गया है तो किस विधि अथवा किस नियम व राज्य की किस नीति के तहत लिया गया, इसका पूरा विवरण, उपर्युक्त विधि, नियम एव नीति से आयोग को अवगत करावें।

5. **क्या राज्य सरकार द्वारा पुलिस कार्यवाही में किसी व्यक्ति के मारे जाने पर सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया गया है, आयोग को जानकारी उपलब्ध कराई जावे।**

6. **क्या टोंक जिले के नगरफोर्ट क्षेत्र के ट्रेक्टर चालक की पुलिस कार्यवाही के दौरान हुई मृत्यु में विभागीय जांच कर पुलिसकर्मियों को उक्त ट्रेक्टर चालक की मृत्यु पर अन्तरिम रूप से अथवा अन्तिम रूप से दोषी माना जा चुका है? किस कारण से मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिये जाने का निर्णय अथवा आश्वासन दिया गया है, आयोग को कारण व विधि के प्रावधानों से अवगत करावें।**

7. **टोंक जिले के नगरफोर्ट क्षेत्र में ट्रेक्टर चालक की पुलिस द्वारा पीछा करने से हुई मौत के प्रकरण में मृतक के शव का दाह संस्कार कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा यह स्पष्ट करें कि मृतक के शव को रोककर आन्दोलन करने पर राज्य सरकार को राज्य आयोग के प्रकरण संख्या 2017/11/2490 एवं अन्य प्रकरणों में राज्य आयोग द्वारा दिये गये आदेशों/निर्देशों की इस प्रकरण में पालना क्यों नहीं की गई?**

चूंकि राज्य में गम्भीर अपराधों, जैसे सामूहिक बलात्कार ही नहीं, बल्कि पुलिस कार्यवाही में मृत्यु के प्रकरणों में सरकारी सेवा में नौकरी दिये जाने के कानून अथवा नीति के अनुसार राज्य द्वारा कोई नीतिगत

निर्णय लिये गये हैं तो उनके कारण व आधार राज्य आयोग को ज्ञात होने से आयोग, आयोग में आने वाले प्रकरणों में पीडितों के मानव अधिकारों सम्बन्धी उचित आदेश पारित करेगा।

अतः आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को तत्काल इस हिदायत के साथ प्रेषित की जावे कि मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार से राज्य आयोग को अत्यन्त महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी विषय पर सम्पूर्ण जानकारी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से जो भी तथ्य व जवाब प्रस्तुत किया जायेगा वह मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित तथा उच्चाधिकारी से हस्ताक्षरित राज्य आयोग में प्रस्तुत किया जावे। इस विषय पर राज्य आयोग किसी विभाग के मत अथवा विभाग से रिपोर्ट नहीं चाह रहा है, जो भी रिपोर्ट आयोग को प्रेषित की जायेगी, वह राज्य सरकार की ओर से राज्य की रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर राज्य आयोग अग्रिम कार्यवाही करेगा।

पत्रावली दिनांक 09 जुलाई, 2019 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष